



FORM No. III

Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम...खीवसर...
परसाराम बनाम रुघनाथसिंह वगैराह
किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट
मु. नं...31 .सन्..2019.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>05.07.2019</p> <p>वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर हो तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.08.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>14.8.19</p> <p>पत्रावली-पेश/जरीये वाद प्रतिवादीगण-के-नोटिस-तलब-वास्तु आम-के-पेश-करे, आम-जिम्मे 23-10-19 को-पेश-का</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO), खीवसर</p> <p>23/10/19</p> <p style="text-align: center;">स्थिति दिनांक 8/1/20</p> <p>पर/पक्षकारान के आश्रयता उपस्थित</p> <p>0/1</p> <p>पैअर्थीन अधिकारों की सीटिंग में/भ्रमण/ मन्तव्य को नुकसान है/अवकाश पर भरोसा है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 17/3/20 को प्रस्तुत हो।</p>	

24.8.22

पत्रावली-पेशी करीब-करीब
आग करीब-करीब-करीब-
प्रतिवादी के मोदी व वरुणा
पेश-करे. नममा-09 R5 के तरत
कार्यवाही की लगेगी पत्रावली
दिनांक 30.8.22 को पेश

महायक कलेक्टर
(SDO), खीवसर

30/8/22

पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/
भ्रमण में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/
अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी
दिनांक को 6/12/22 को पेश

6/12/22


पत्रावली पेश हुआ। वरुणा उप०।
वादी एवं प्रतिवादी को व्योमलम राजा में
छार-छार होवाज दिलवायी गयी, अगर
गैर होजिर। छार-छार होवाज देने के
पश्चात भी कोई भी (वादी-प्रतिवादी)
उपस्थित नहीं होते थे कारण इन्हे विद्व
इस पक्षीय कार्यवाही अमल में लगी गयी
है। वकीलवादी को निवेदन कर वजय कि
कल में इस प्रकरण में पेशी करी उला
थाहा ग्या पत्रावली को रकारिज कएवाना

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स नम

घाफगा इ । कत वहीलवारी के निवेदन पर
उक्त प्रकरण को तदम पंखी- कतम मयत
में खरिज लिख जाग है । वही के -
निवेदन पर उक्त पत्रावली को पत्रु पत्र
को Reopen लिख जा कतगा है ।

पत्रावली पंखाल सुमार धेकर -
जम्वाल के कत धेकर वाद जाग परिदर
रखत धे ।


सहायक कलक्टर
(SDO), खीसर

उमर
उपरि
लोक
दोनों
लोक
पक्ष
अदा

उक्त
गावों
पंचायत
पक्षका
गया ।
नहीं
दिनांक

12/
दासीन
गाना
पत्रावली
प्रमाण
प्राकृत
निर्वाह
कतगा